न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

इजलास अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

दावा संख्या :—42/2021

निर्णय दिनांकः—20/01/26

उनवान

1. सुखदेव पुत्र कल्याण जाति खटीक निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक
2. रामदयाल पुत्र कल्याण खटीक जाति खटीक निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक
3. हीरालाल पुत्र कल्याण खटीक जाति खटीक निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक
4. प्रेम प्रकाश पुत्र सुवा जाति खटीक निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक
5. कमल पुत्र संवा खटीक जाति खटीक निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक
6. मोहन पुत्र सुवा खटीक जाति खटीक निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक
7. किस्तुरी बेवा सुवा खटीक जाति खटीक निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक
8. सुशीला पुत्र छोटू खटीक जाति खटीक निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक
9. गीता पुत्री छोटू खटीक जाति खटीक निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक
10. हरजी पुत्र भूरा खटीक जाति खटीक निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक
11. रामस्वरूप पुत्र नन्दा खटीक जाति खटीक निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक
12. रामराय पुत्र नन्दा खटीक जाति खटीक निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक
13. बाबू पुत्र नन्दा खटीक जाति खटीक निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक
14. प्रभाती बेवा नन्दा खटीक जाति खटीक निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक
15. अजय पुत्र कैलाश खटीक जाति खटीक निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक
16. बृजमोहन पुत्र गोपी खटीक जाति खटीक निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक
17. हंसराज पुत्र गोपी खटीक जाति खटीक निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक
18. ताराचन्द पुत्र गोपी खटीक जाति खटीक निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक

वादीगण

बनाम

Scanned with OKEN Scanner

1. रामकरण पुत्र काना जाति गुर्जर निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक
2. शंकर पुत्र भूरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक
3. गजानन्द पुत्र रामकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक
4. धारासिंह पुत्र रामकरण गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक
5. पुखराज पुत्र रामकरण गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक
6. धर्मराज पुत्र रामकरण गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक
7. पारा पत्नी रामकरण गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम बड़ागावं उर्फ टींटोली तह0 निवाई जिला टोंक

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1 श्री पुरूषोतम शर्मा (एडवोकेट वादीगण)
2 प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई।

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि आराजी ख0नं0 708 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा गै0मु0चाह बारानी तृतीय च ख0नं0 709 रकबा 21 बीघा 7 बिस्वा बारानी तृतीय वाके ग्राम बड़ागांव उर्फ टीटोली पटवार हल्का बड़ागांव तह0 निवाई जिला टोंक (राज0) दर्ज पटवार रिकार्ड पर वादीगण काबिज काश्तकार है। अपने पुर्वजो के समय से खेती करते आ रहे है। कृषि आराजी के चारों ओर खाम डोल लगी हुई है। मुकम्मल बाउण्ड्री बनी हुई है। सम्पुर्ण कृषि भूमि मय चाह के एक जाव मे बनी हुई है। वादीगण पुराने कब्जेधारी काश्तकार खातेदार है। वादीगण अनुसूचित जाति (खटीक) जाति के निर्बल कमजोर व्यक्ति है। वादग्रस्त भूमि को वदीगण ने काफी रूपया लगाकर उपजाउ व काबिज काश्त बना रखा है। वादीगण की विकसित की हुई भूमि पर जबरन वादीगण के कब्जे काश्त तें प्रतिवादीगण बाधा, मजाहमत कर रहे है। जिनको पाबन्द किया जाना विधि संगत व न्याय संगत है। वादीगण की कृषि भूमि में वादीगण का तन्हा रास्ता है। कृषि भूमि मे स्थित तन्हा रास्ते में व तन्हा कृषि भूमि में अतिकमण करने पर आमादा रहते है, आये दिन कृषि भूमि में स्थित डोल मेर–कोर को तोडने पर आमादा फॅसाद हो रहे है, कृषि भूमि में स्थित हरे वृक्षो को ये लोग आये दिन काटते रहते है व आये दिन कृषि कार्य करने में व बा–जोत करने में प्रतिवादीगण अवरोध व मजाहमत पैदा करते रहते है। जिसका उन्हें कोई अधिकार नही है। प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त कृषि भूमि से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है अकारण ही वादीगण की गरीबी का नाजायज फायदा उठाते हुए धनबल वजनबल के आधार पर वादीगण को उनके खातेदारी व अधिकार की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है। जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नही है। प्रतिवादीगण गुर्जर समुदाय के राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति है जिनको स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे स्वयं जरिये ऐजेन्ट नौकर, आदि वादीगण के कब्जे काश्त में कृषि कार्य में खेत में आने जाने में बाधा मजामहमत नही करे तथा किसी प्रकार की बाधा, मजाहमत आदि पैदा नही करें न करवावें। जिसके लिये प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

Scanned with OKEN Scanner

दावा पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की ओर से श्री कौशल किशोर जाट एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण को रूक–रूककर बार–बार आवाज लगाने के बाद भी गैर हाजिर होने के कारण प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। वकील वादी की ओर से रामस्वरूप पुत्र नन्दा जाति खटीक का शपथ पत्र **PW-1**, ताराचन्द पुत्र गोपी जाति खटीक का शपथ पत्र **PW-2** प्रेमप्रकाश पुत्र सुवा जाति खटीक का शपथ पत्र **PW-3** पेश किया गया। बहस एकतरफा सुनी गई।

बहस वकीलवादी एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया व बहस पर चिन्तन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ख0नं0 708, 709 पर वादीगण की खातेदारी दर्ज है। जो कि प्रदर्श (EX)–1, जमाबंदी प्रदर्श (EX)–1, खसरा गिरदावरी प्रदर्श (EX)–3 संलग्न है से प्रमाणित है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जेकाश्त में काश्त करने में किसी भी तरह की बाधा, मजाहमत नही करे, कृषि भूमि पर स्थित जुगादी डोल मेर को नही तोड़े डोल पर स्थित हरे वृक्षों को नही काटें, खेतों पर आने जाने के रास्ते को नही रोके व वीगण के खेती के उपयोग उपभोग में बाधा मजाहमत नही करे। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20/01/26 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिता कुमारी खटीक
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(पर्चा डिकी मुकदमा इब्तदाई)

(अनिता कुमारी खटीक आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई)

उनवान

सुखदेव बनाम रामकरण

मुकदमा नम्बर :– 42/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अनिता कुमारी खटीक आर.ए.एस. ब हाजरी श्री पुरूषोतम शर्मा वकील वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी डिकी किया जाता है कि ख0नं0 708, 709 पर वादीगण की खातेदारी दर्ज है। जो कि प्रदर्श (EX)–1, जमाबंदी प्रदर्श (EX)–1, खसरा गिरदावरी प्रदर्श (EX)–3 संलग्न है से प्रमाणित है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जेकाश्त में काश्त करने में किसी भी तरह की बाधा, मजाहमत नही करे, कृषि भूमि पर स्थित जुगादी डोल मेर को नही तोड़े डोल पर स्थित हरे वृक्षों को नही काटें, खेतों पर आने जाने के रास्ते को नही रोके व वीगण के खेती के उपयोग उपभोग में बाधा मजाहमत नही करे। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20/01/26 को जारी की गई।

अनिता कुमारी खटीक
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner